भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 125

गुरुवार, 2 फरवरी, 2017/13 माघ, 1938 (शक)

दुर्घटना पीड़ितों का नकदी रहित उपचार

125. श्री भर्तृहरि महताब:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना पीड़ितों को नकदी रहित उपचार सुविधा

प्रदान करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजना के आरंभ होने से नकदी रहित उपचार

प्रदान किए गए ऐसे पीड़ितों की संख्या कितनी है;

(ग) उक्त परियोजना की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार मुख्य विशेषताएं और कवरेज क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में रिपोर्ट की गई सड़क दुर्घटनाओं

की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री पोन्. राधाकृष्णन)

(क) से (ग) : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निम्नलिखित खंडों पर सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के नकदीरहित उपचार के लिए तीन प्रायोगिक परियोजनाएं आरंभ की हैं ।

(I) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 का गुड़गांव-जयपुर खंड (2013-14 में प्रारंभ किया गया)

(II) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 का बड़ोदरा-मुंबई खंड (2014-15 में प्रारंभ किया गया)

(III) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 33 का रांची-रारगांव-महुलिया खंड (2014-15 में प्रारंभ किया गया)

इस परियोजना का उदेद्य 'स्वर्णिम घड़ी' के दौरान तत्काल व उपयुक्त चिकित्सा देखभाल मुहैया कराके दुघर्टना पीड़ितों के जीवन को बचाना है और इस प्रकार सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली घातकता व अपंगता की घटनाओं में कमी लाना है। इस परियोजना में प्रथम 48 घंटों के दौरान दुर्घटना पीड़ितों को दुर्घटना स्थल से अस्पताल में ले जाने और जहां आवश्यक हो एक अस्पताल से किसी अन्य सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में उपचार के लिए ले जाने अथवा 30,000/- रु. मुहैया कराए जाने जैसी भी स्थिति हो, की परिकल्पना है।

प्रायोगिक चरण समाप्त हो गया है। पीजीआइएमआर ने अध्ययन कराया है।

(घ): सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या तथा ऐसी दुर्घटनाओं में मारे गए व घायल हुए व्यक्तियों के संबंध में राज्य/ संघ-राज्य क्षेत्र-वार **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ङ.): सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ऐसी सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अनेक उपाय किए हैं जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i) सरकार ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति अनुमोदित की है । इस नीति में विभिन्न उपाय बताए गए हैं जैसे जागरूकता संवर्धित करना, कुशल परिवहन के उपयोग सहित सुरक्षित सड़क अवसंरचना को प्रोत्साहित करना, सुरक्षा कानूनों का प्रवर्तन, अभिघात देखभाल आदि ।

(ii) सरकार ने सड़क सुरक्षा के मामलों में नीतिगत निर्णय लेने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् गठित की है ।

(iii) मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् और जिला सड़क सुरक्षा समितियां गठित करने और उनकी बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने का अनुरोध किया है ।

(iv) मंत्रालय ने शिक्षा, इंजीनियरी (सड़क और वाहन दोनों के लिए), प्रवर्तन और आपात निदान नामक चार सड़क सुरक्षा उपायों पर आधारित सड़क सुरक्षा के मुद्दे के समाधान के लिए एक बहुआयामी रणनीति तैयार की है । इसके आधार पर, कार्य-योजना का एक मसौदा राज्यों के साथ साझा किया गया है।

(v) सड़क सुरक्षा को योजना स्तर पर सड़क डिजाइन के एक अभिन्न भाग के रूप में बनाया गया है ।

(vi) राष्ट्रीय राजमार्गों के चुनिन्दा खंडों की सड़क सुरक्षा संपरीक्षा आरंभ की गई है ।

(vii) राष्ट्रीय राजमर्गों पर ब्लैक स्पॉटों (दुर्घटना संभावित स्थलों) के अभिनिर्धारण और दोष निवारण को उच्च प्राथमिकता दी गई है । लगभग 789 ऐसे ब्लैक स्पॉटों का सुधार के लिए अभिनिर्धारण किया गया है ।

(viii) राष्ट्रीय राजमार्ग की चार लेनिंग के लिए शुरूआत को 15,000 पैसेंजर कार यूनिट (पीसीयू) से घटाकर 10,000 पीसीयू कर दिया गया है । राज्यीय राजमार्गों के लगभग 52,000 किमी खंडों को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलने के लिए अभिज्ञात किया गया है ।

(ix) राज्यों में आदर्श ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना और असंगठित क्षेत्र में भारी मोटर वाहनों के चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण ।

(x) इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से सड़क सुरक्षा पर समर्थन/प्रचार अभियान ।

(xi) वाहनों के सुरक्षा मानकों को सख्त बनाना जैसे कि सीट बेल्ट, पावर-स्टियरिंग, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम आदि ।

(xii) राष्ट्रीय राजमार्गों पर विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना सहायता सेवा योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों को क्रेनें और एम्बुलेंस प्रदान करना । भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भी अपने प्रचालन और अनुरक्षण ठेकों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के पूरे किए गए प्रत्येक खंड पर 50 किमी की दूरी पर एंबुलेंसें प्रदान करता है ।

(xiii) राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-8 के गुडगांव-जयपुर, बड़ोदरा-मुम्बई खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-33 के रांची – रारगांव - महुलिया खंड पर सड़क दुर्घटना पीड़ितों के नकदी रहित उपचार के लिए एक प्रायोगिक परियोजना का प्रारंभ ।

<u>अनुलग्नक</u>

''दुर्घटना पीड़ितों का नकदी रहित उपचार'' के संबंध में श्री भर्तृहरि महताब द्वारा दिनांक 02.02.2017 को पूछे गए लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 125 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

सभी सड़कों पर सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सड़क दुर्घटनाओं की संख्या			
		2012	**2013**	**2014**	**2015**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	आंध्र प्रदेश	42524	43482	24440	24258
2	अरुणाचल प्रदेश	251	308	205	284
3	असम	6535	7211	7144	6959
4	बिहार	10320	10200	9556	9555
5	छत्तीसगढ़	13511	13657	13821	14446
6	गोवा	4312	4294	4229	4338
7	गुजरात	27949	25391	23712	23183
8	हरियाणा	10065	10482	10676	11174
9	हिमाचल प्रदेश	2899	2981	3058	3010
10	जम्मू और काश्मीर	6709	6457	5861	5836
11	झारखंड	5711	5569	5201	5162
12	कर्नाटक	44448	44020	43713	44011
13	केरल	36174	35215	36282	39014
14	मध्य प्रदेश	51210	51810	53472	54947
15	महाराष्ट्र	66316	63019	61627	63805
16	मणिपुर	771	671	743	671
17	मेघालय	483	525	542	606
18	मिजोरम	110	114	132	70
19	नगालैंड	42	71	305	54
20	ओडिशा	9285	9680	9648	10542
21	पंजाब	6341	6323	6391	6702
22	राजस्थान	22969	23592	24628	24072
23	सिक्किम	158	244	203	219
24	तमिलनाडु	67757	66238	67250	69059
25	तेलंगाना	NA	NA	20078	21252
26	त्रिपुरा	888	818	716	647
27	उत्तराखंड	1472	1297	1410	1523
28	उत्तर प्रदेश	29972	30615	31034	32385
29	पश्चिम बंगाल	12290	12414	12875	13208
30	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	236	200	218	258
31	चंडीगढ़	419	410	369	416
32	दादर और नगर हवेली	85	91	87	69
33	दमन और दीव	50	59	39	70
34	दिल्ली	6937	7566	8623	8085
35	लक्षदीप	3	1	1	3
36	पुदुचेरी	1181	1451	1111	1530
जोड़		**490383**	**486476**	**489400**	**501423**

सभी सड़कों पर सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की कुल संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मारे गए व्यक्तियों की कुल संख्या			
		2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	14964	14171	7908	8297
2	अरुणाचल प्रदेश	138	143	119	127
3	असम	2291	2441	2522	2397
4	बिहार	5056	5061	4913	5421
5	छत्तीसगढ़	3167	3477	4022	4082
6	गोवा	292	266	290	311
7	गुजरात	7817	7613	7955	8119
8	हरियाणा	4446	4517	4483	4879
9	हिमाचल प्रदेश	1109	1054	1199	1096
10	जम्मू और काश्मीर	1165	990	992	917
11	झारखंड	2818	2706	2628	2893
12	कर्नाटक	9448	10046	10452	10856
13	केरल	4286	4258	4049	4196
14	मध्य प्रदेश	8175	8588	8569	9314
15	महाराष्ट्र	13333	13029	12803	13212
16	मणिपुर	158	165	168	139
17	मेघालय	219	130	141	183
18	मिजोरम	77	97	103	72
19	नगालैंड	56	30	81	30
20	ओडिशा	3701	4062	3931	4303
21	पंजाब	4820	4588	4621	4893
22	राजस्थान	9528	9724	10289	10510
23	सिक्किम	55	68	59	70
24	तमिलनाडु	16175	15563	15190	15642
25	तेलंगाना	NA	NA	6906	7110
26	त्रिपुरा	272	226	188	158
27	उत्तराखंड	844	766	878	913
28	उत्तर प्रदेश	16149	16004	16287	17666
29	पश्चिम बंगाल	5397	5504	5875	6234
30	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	25	40	23	23
31	चंडीगढ़	136	117	131	129
32	दादर और नगर हवेली	53	49	59	42
33	दमन और दीव	29	31	15	42
34	दिल्ली	1866	1820	1671	1622
35	लक्षदीप	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	193	228	151	235
जोड़		**138258**	**137572**	**139671**	**146133**

सभी सड़कों पर सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों की कुल संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	घायल व्यक्तियों की कुल संख्या			
		2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	51552	49970	29931	29439
2	अरुणाचल प्रदेश	399	405	308	359
3	असम	6709	6609	6499	7068
4	बिहार	7142	7086	6640	6835
5	छत्तीसगढ़	13517	12503	13157	13426
6	गोवा	2086	1928	1879	2055
7	गुजरात	27650	24836	22493	21448
8	हरियाणा	9452	9143	8944	10794
9	हिमाचल प्रदेश	5248	5081	5576	5108
10	जम्मू और काश्मीर	9755	8681	8043	8142
11	झारखंड	4974	4356	4356	4038
12	कर्नाटक	58659	56781	56831	56971
13	केरल	41915	40346	41096	43735
14	मध्य प्रदेश	55994	55731	55335	55815
15	महाराष्ट्र	43847	41972	40455	39606
16	मणिपुर	1391	1175	1295	1201
17	मेघालय	322	412	311	319
18	मिजोरम	172	264	234	103
19	नगालैंड	49	65	230	74
20	ओडिशा	10715	11254	11087	11825
21	पंजाब	3997	4383	4127	4414
22	राजस्थान	28135	27424	27453	26153
23	सिक्किम	336	409	352	337
24	तमिलनाडु	78348	75681	77725	79746
25	तेलंगाना	NA	NA	21636	22948
26	त्रिपुरा	1237	1277	1225	1028
27	उत्तराखंड	1577	1503	1531	1657
28	उत्तर प्रदेश	22155	23024	22337	23205
29	पश्चिम बंगाल	13773	13182	12018	11794
30	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	288	233	283	331
31	चंडीगढ़	347	335	335	331
32	दादर और नगर हवेली	122	104	96	97
33	दमन और दीव	39	75	49	64
34	दिल्ली	6633	7098	8283	8258
35	लक्षदीप	3	2	1	3
36	पुदुचेरी	1129	1565	1323	1552
जोड़		**509667**	**494893**	**493474**	**500279**

*****